.फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

मंगलाराम बनाम गोपाराम इत्यादि

किस्म मुकदमा... रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र न. 24 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.2024	पत्रावली हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता के निवेदन पर रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर उनकी बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23.12.2024 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	
23.12.2024	पत्रावली रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर पूर्व में बहस सुनी जा चुकी है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के अधिवक्ता बिमार होने के कारण तथा उनका दिनांक 04.04.2023 को एक्सीडेंट हो जाने के कारण उनका कन्धा फैक्चर हो जाने तथा सिर में गम्भीर चोट आने की वजह से अधिवक्ता की यादाश्त कमजोर हो जाने के कारण अपने सहयोगी अधिवक्ता को इत्तला नहीं करे सके तथा माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। इस कारण दिनांक 05 जुलाई 2023 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। अधिवक्ता की अनुपस्थिति की माकूल व न्यायोचित वजह रही है। इस कारण न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना कानूनन न्यायोचित है। इसलिए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद मानते हुए स्वीकार किया जाकर, उक्त अपील पुनः बरामद किया जाना न्यायोचित है। अंत में प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या 13/2020 बअनवान मंगलाराम बनाम गोपाराम को पुनः बरामद किये जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने कथनों की पुष्टि बाबत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उनके कथन साबित हो सके। प्रार्थी द्वारा विलंब हेतु बतलाया गया कारण सद्भाविक एवं विश्वास योग्य नहीं पाये जाने से प्रस्तुत रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र काल वर्जित पाये जाने से तदनुसार खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नंबर से कम की जाकर अपील के साथ नत्थी हो। आदेश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर	